SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROGEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.) गायिक मजिस्ट्रेट प्रथ Complaint or report madeon लोहद, जिला-सिण्ड (म.प्र.) Name and address of the Complainant.... Name, parentag caste and address of accused The offence, complainant of, and date of, its alleged commission आप पर आरोप ै िक दिनांक २२-५७-५७ पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में 30 लीटर/पाव/ब्रेगिल रकती शराब विकय, परिवहन हेतु रखी। ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की घारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराघं कारित किया। क्या आपको उक्त अण्राध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो। न्यायिक हस्तास्ट्रेट प्रथम-मंगी The plea of the accused and his examination (if any) wise Gorn-Gove (40.40.) अपराध स्वीकार है! न्यून दण्ड से दण्डित कर का निवेदन है। तहद जिला-भिण्ड (म.प्र.) //निर्णय//

(आज दिनांक २२.८) को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होन से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वे छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।

02. संक्षिप्त विचारण किया गया। उस अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि0 1915 की धारा 34 1 (b) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।

03 अभियुक्त को आबकारी अधि० 19 5 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रूपये जिल्हा में किया जाने पर रिक्ट का साधारण कारावारा की सजा मुगतायी जावे।

4 जप्तशुदा सम्पित्ति 🕏 ७

्रिर्णाव/बोर्तल राजी

. ११९१६

मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक भेने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार

की जाते। अधील माना अपील न्यायालय के आदेश का

प्रकार समा

पक्रज शमा चाविक मजिस्ट्रेट प्रथम-बंगी गोहद जिला-मिण्ड (ग.प्र.)